

पत्रांक: 2160/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020

दिनांक: 30/04/2020

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 615/सत्तर-1-2020-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी सम्प्रति कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में शासन द्वारा एक समिति गठित की गई थी। जिसकी संस्तुतियां दिनांक 18.11.2019 शासन द्वारा (पाठ्यक्रम सहित) प्रेषित की गई है, जिसे इसी सत्र से लागू किया जाना है।

उक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्मित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के प्रथम वर्ष से लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विद्या परिषद् एवं कार्यपरिषद् की बैठक अतिशीघ्र आहूत कर अनुमोदनोपरान्त पाठ्यक्रम इसी सत्र से प्रभावी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.suksn.edu.in) पर उपलब्ध है। कृपया अपने महाविद्यालय में संचालित विषयों के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को इससे अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय



कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

दिनांक 30/04/2020

पत्रांक: 2160/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-विशेष सचिव, उच्चशिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2-अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 3-परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 4-विभागाध्यक्ष- वाणिज्य, प्रभारी-अर्थशास्त्र एवं हिन्दी विभाग।
- 5-निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 6-कोडिंग प्रभारीको इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
- 7-सम्बन्धित पत्रावली।



कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।